अधिकारों का प्रत्यायोजन -- 6

भाग - 4 संशोधित अधिकारों का प्रत्यायोजन / मीडिया प्लानिंग / सरकारी सहायता / अधिकृत फिल्म निर्माण

क्रमांक	विषय वस्तु	प्राधिकारी	वर्तमान अधिकार	संशोधित अधिकार	टिप्पणी
1.	फीचर फिल्म निर्माण	महाप्रबंधक		स्वयं की	बशर्ते कि
	(स्वयं का) के खर्च की	(फिल्म	v" v	फिल्मों के	वह नीचे
	स्वीकृति जिसे बोर्ड ने	निर्माण)	6	निर्माण के	दिये गये
	अन्मति दी हो (लाइन		7.8	मामले में पूर्ण	नोट की
	प्रोड्यूसर की नियुक्ति			अधिकार	शर्तीं के
	सहित).				अनुसार
					हो.

एस आई टिप्पणी नं-(1) ए). इस बात को सुनिश्चित करना कि फिल्म का निर्माण स्वीकृत बजट के अनुरूप ही हो.

- बी). बजट के किसी भी उपशीर्षक में 15 प्रतिशत तक फेरबदल होने पर महाप्रबंधक की अनुमित आवश्यक है फिर चाहे ऐसे फेरबदल की भरपाई किसी दूसरे उपशीर्षक में हुए फेरबदल से हो जाने की वजह से फिल्म के कुल बजट पर कोई प्रभाव न भी पड़ता हो.
- सी). अगर फिल्म का खर्च अनुमानित खर्च से इतना अधिक हो जाय कि फिल्म के कुल बजट पर उसका स्पष्ट असर दिखाई देने लगे तो इस अतिरिक्त खर्च के लिये सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है.
- डी). 'रेखा से ऊपर के खर्च' (एजेंसियों को किये गये भुगतान) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.दवारा सीधे ही किये जाएंगे.
- ई). महाप्रबंधक दवारा समय समय पर बजट की समीक्षा.

6

- एफ). जो भी खर्च किये जा रहे हों उनकी लाइन प्रोड्यूसर द्वारा समय समय पर समीक्षा. अगर यह लगता हो कि बजट की किसी एक मद का खर्च 15 प्रतिशत से अधिक हो रहा है तो उसके लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी फिर चाहे एक मद के बढ़े हुए खर्च की दूसरी मद से भरपाई क्यों न हो रही हो और इस तरह कुल बजट पर कोई फर्क न पड़ रहा हो
- जी). लाइन प्रोड्यूसर चुनने और नियुक्त करने का विशेषाधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा. फिर भी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निर्माण के सभी चरणों में काम सुचारु चल सके, लाइन प्रोड्यूसर की नियुक्ति के लिये फिल्म के निर्देशक की सलाह ली जा सकती है.

एच). जो भी खरीदारी की जाय उसके लिये खरीदारी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये लेकिन फिल्म निर्माण के मामले में विभिन्न लोगों की सेवाएं लेने के लिये यह लागू नहीं भी हो सकता.

2.	फीचर फिल्म निर्माण /	महाप्रबंधक	सह निर्माण के	बशर्ते	कि
	सहनिर्माण के खर्च की	(फिल्म	मामले में पूर्ण	वह	नीचे
	स्वीकृति बोर्ड से लेनी	निर्माण).	अधिकार	दिये	गये
	होगी. (इसमें लाइन		, T. T. T.	नोट	की
	प्रोड्यूसर की नियुक्ति			शर्तीं	के
	भी शामिल है,)			अनुसा	र
			**	हो.	

--फिल्म के सह निर्माता और निर्देशक के साथ सलाह मशविरे के बाद लाइन प्रोड्यूसर की नियुक्ति.

--सहनिर्माता के साथ सलाह मशविरे के बाद, नकदी के परस्पर सहमति से स्वीकृत प्रवाह के अनुसार खर्च करना / अपना हिस्सा देना.

--समय समय पर बजट की समीक्षा.

--जहां आवश्यक हो वहां खरीदारी की प्रक्रिया अपनाना.

3.	लाइन प्रोड्यूसर को	महाप्रबंधक	पूर्ण	लाइन प्रोड्यूसर
	अग्रिम भ्गतान	(फिल्म	अधिकार	को भुगतान /
		निर्माण).		अग्रिम नकद
		*		प्रवाह / बजट के
				अन्रूप ही किया
				जाना चाहिये और
				वह भी पहले दिये
				जा चुके अग्रिम
				का हिसाब किताब
				ले लेने के बाद.
				सह निर्माण के
				मामलों में सह
				निर्माता की
				सहमति भी ली
				जानी चाहिये.
				14 V = 100 × 100

4.	राष्ट्रीय फिल्म विकास	प्रबंध	पूर्ण	पूर्ण	तथापि, फिल्मों के
	निगम लि. की अपनी	निदेशक	अधिकार	अधिकार	अधिकार आउट
	फिल्मों के लिये बिक्री /				राइट बेच देने के
	लीज के नियत समय				लिये निदेशक
	के अधिकारों का				मंडल की स्वीकृति
	मुद्रीकरण				आवश्यक होगी.
	(मोनेटाइजेशन)				I FET TALE
5.	विभिन्न सेवाओं के	प्रबंध	पूर्ण	पूर्ण	
	शुल्क को स्वीकृति देना	निदेशक	अधिकार	अधिकार	
	जिनमें प्रिव्यू थियेटर,				
	प्रशिक्षण, सलाह सेवाएं				Alts 1
	आदि भी शामिल है				
6.	मंत्रालयों / कूटनीतिज्ञ	प्रबंध	उपलब्ध	पूर्ण	
	साझेदारों के साथ	निदेशक	नहीं	अधिकार	
	करारनामे पर हस्ताक्षर				
7.	विभिन्न करारनामों /	मुख्यालय		पूर्ण	अनुबंध /
	कानूनी अनुबंधों /	में संबंधित		अधिकार	समझौता पत्र
	फिल्म निर्माण /				सक्षम प्राधिकारी
	वितरण / मीडिया /	/ क्षेत्रीय			की अनुमति से,
	निर्यात तथा अन्य	कार्यालयों		0	कानूनी जांच
	सहायक सेवाओं से	के प्रमुख			पड़ताल के साथ
	संबंधित दस्तावेजों पर				तैयार किया जाना
	हस्ताक्षर करना.				चाहिये.
					फिल्म निर्माण
×					से संबंधित
					विभिन्न अनुबंधों
					को स्वीकृत करने
					के लिये सक्षम
		X 100			अधिकारी फिल्म
					निर्माण का प्रमुख
					माना जाएगा
					उप अधिकार
					सक्षम अधिकारी
					के संपूर्ण अधिकारों

				के अंतर्गत ही
				प्रदान किये जा
				सकते हैं.
8.	फिल्म बाजार,	नामांकन	पूर्ण	बजट की
0.	परिसंपत्तियों के	1	अधिकार	अनुमति (मदों के
	नवीनीकरण, थियेटरों	1	3119411	अनुसार) प्रबंध
1	का निर्माण, जीर्णोद्धार	1		निदेशक द्वारा.
	के लिये सरकारी			अनुमति पत्र
	अनुदान, टैगोर आदि			निदेशक (वित्त)
	विशेष योजनाओं के			के जरिये आना
	लिये खर्च की स्वीकृति			चाहिये.
	ालय खय यम स्यापृमरा			प्रबंध निदेशक
				द्वारा / कार्यक्रमों
				/ इवेंट्स की
				सिद्धांततः
				अनुमति.
				खरीदारी प्रक्रिया
		~		अपनानी होगी.
9.	कमीशंड प्रोडक्शंस /	महापूर्वशिक	पूर्ण	विशेष अनुमति
J.	विज्ञापनों के निर्माण		अधिकार	प्रक्रिया /
	तथा अन्य सहायक		31199/1	मार्गदर्शन / ग्राहक
	सेवाओं के लिये एजेंसी			द्वारा दिये गये
	की नियुक्ति.			निर्देश (अगर कोई
	या विषुष्ति.	19610110941		हों तो)
10.	गैर फीचर फिल्मों के	मटाएउं १ क	पूर्ण	गैर फीचर
10.	निर्माण / कमीशंड	1	न् ^र । अधिकार	फिल्मों के निर्माण
	निर्माण / अन्य सहायक	4 272	31199/1	/ अन्य
	सेवाओं के लिये स्वीकृत	1		सहायक सेवाओं के
	बजट की अनुमति.	विभागाध्यक्ष		बजट की इसी
	वजाट पर्ग अंगुनात.	ापकाणाञ्चदा		कार्य के लिये
				गठित कमेटी
				X X X
				द्वारा स्वीकृति की शर्त पर
				बजट / मीडिया
				बजट / माडिया

	प्लान्स की ग्राहक
	द्वारा स्वीकृति की
	शर्त पर.
	उप अधिकार
	सक्षम अधिकारी
	के संपूर्ण अधिकारों
	के अंतर्गत ही
	प्रदान किये जा
	सकते हैं.